

त्रिपुरा राज्य व अन्य

बनाम

चंदन देब एवं अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 6500)

24 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम, 1976: धाराएं. 3 ए, 3 ए ए- त्रिपुरा बिक्री कर नियम, 1976- नियम- 3 ए(2)- का उप-नियम (2), 3 ए, क्या त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों से अधिकारातीत है- तथ्यों पर, ओ. एन. जी. सी., जी. ए. आई. एल., एफ. सी. आई. द्वारा वाहनों को रिट याचिकाकर्ता आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में कार्य आदेश जारी करना- रिट याचिकाकर्ता ने त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम, नियम 3 ए(2) के अधीन को चुनौती दिया और वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण को बिक्री कर के रूप में इस तरह की कटौती की गई राशि की वापसी- एकल न्यायाधीश ने नियम 3 ए (2) को त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम को अधिकारातीत किया जिसे खंड पीठ ने बहाल रखा- एकल पीठ ने यह भी अभिनिर्णित किया कि आपूर्तिकर्ताओं को धारा 3 एए के अन्तर्गत बिक्री कर देना होगा जिसे खंड पीठ ने रद्द कर दिया- अपील में यह अभिनिर्णित किया: धारा 3 सपठित धारा 2(ख) और 2(छ) के संयुक्त पठन से किसी भी माल (वाहनों सहित) के उपयोग के हस्तान्तरण को बिक्री माना जाएगा और किसी भी माल/वाहन का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरणकर्ता को व्यापारी कहा जा सकता है और इसलिए धारा 3 (1) के प्रावधान के अनुसार किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है- किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने की देयता धारा 3(1)- नियम 3 ए(2) केवल एक मशीनरी/तंत्र प्रदान करता है जहां माल खरीदने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती करने और उसे राजस्व के साथ जमा करने की आवश्यकता है- यह किसी भी तरह से कर की प्रभार्यता या कर के दायित्व को नहीं बदलता है जो कि धारा 3(1), सपठित धारा 2(ख) और 2(छ) के अन्तर्गत है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने धारा 3 ए(2) को त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम से अधिकारातीत घोषित करने में,

और राज्य सरकार द्वारा 1992 में जारी ज्ञापन में किरायेदार ओ. एन. जी. सी. और गेल द्वारा स्रोत पर 4 प्रतिशत कर की कटौती आपूर्तिकर्ताओं के संबंधित बिलों में से धारा 3 ए को रद्द करने और अलग करने की गलती की।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 धारा 3 सपठित धारा 2(ख) और 2(छ) के संयुक्त पठन से किसी भी माल (वाहनों सहित) के उपयोग के हस्तांतरण को बिक्री माना जाएगा और किसी भी माल/वाहन का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरणकर्ता को व्यापारी कहा जा सकता है और इसलिए धारा 3 (1) के प्रावधान के अनुसार किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने का दायित्व धारा 3(1) के तहत होगा। इसलिए, उत्तरदाताओं-आपूर्तिकर्ताओं/हस्तांतरणकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ कि चूंकि माल की कोई बिक्री या हस्तांतरण नहीं है और वे त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम के साथ पंजीकृत नहीं हैं और इसलिए 4 प्रतिशत पर कर का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कर का भुगतान करने का दायित्व त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (बी) और 2 (जी) के साथ पठित धारा 3 (1) के अनुसार हस्तांतरणकर्ता पर होगा जो किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार को हस्तांतरित करता है।
[पैरा 8.3] [1148-ए-डी]

1.2 . जहां तक इस सवाल का संबंध है कि क्या नियम 3 ए (2) और सरकार द्वारा 4 प्रतिशत पर कर की कटौती के लिए जारी ज्ञापन और हस्तांतरणकर्ताओं को भुगतान किए जाने वाले बिलों को त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम से अधिकारातीत है, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उक्त प्रावधान को अधिकार क्षेत्र से बाहर माना कि त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इस प्रकार, नियम अधिनियम से परे नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया उक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। नियम 3 ए (2) को एक पुनर्प्राप्ति तंत्र/तंत्र कहा जा सकता है। नियम 3 ए (2) केवल एक प्रावधान करता है मशीनरी/तंत्र के लिए जहाँ माल खरीदने वाले व्यक्ति को स्रोत पर कर की कटौती करने और उसे राजस्व में जमा करने की आवश्यकता होती है। यह किसी भी तरह से कर की प्रभार्यता या कर की देनदारी को नहीं

बदलता है जो कि अधिनियम के धारा 3(1) सपठित धारा 2 (बी) और 2 (जी) में है। [पैरा 9] [1148-ई-जी]

1.3. नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए जाते हैं- अधिनियम की धारा 44 के तहत और मामले के उस दृष्टिकोण में और माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर का भुगतान करने के दायित्व के रूप में धारा 3 (1) के शर्तों के तहत अभी भी जारी रहेगा, श्रोत पर कर की कटौती करके माल खरीदने वाले व्यक्ति से हस्तांतरणकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर की वसूली के लिए वसूली के तरीके और/या मशीनरी/तंत्र का प्रावधान करना और राजस्व के साथ इसे जमा करना त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम और नियमों से अधिकारातीत नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। नियम 3 ए (2) किसी भी तरह से कर की प्रभार्यता या कर का भुगतान करने की देयता को नहीं बदलता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा बिक्री कर नियमों के नियम 3 ए (2) की गलत व्याख्या करने और त्रिपुरा बिक्री कर नियमों के नियम 3 ए (2) को त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करने में गलती की है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है जिसमें ओ. एन. जी. सी. और गेल जैसे अवक्रेताओं से वाहनों के आपूर्तिकर्ताओं के संबंधित बिलों में से 4 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश नियम 3 ए (2) को त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम, 1976 से अधिकारातीत रूप में घोषित करने और 1992 के ज्ञापन को रद्द करने और रद्द करने को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 10] [1148-एच; 1149-ए-ई]

पिलकॉम बनाम सी. आई. टी., (2020) 19 एस. सी. सी. 409; सी. आई. टी. बनाम एली लिली एंड कंपनी (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2009) 15 एस. सी. सी. 1: [2009] 5 एस. सी. आर. 20; सी. सी. ई. और सीमा शुल्क बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, (2016) 1 एससीसी 170: [2015] 8 एस. सी. आर. 1046-संदर्भित

कानून संदर्भ मामला

(2020) 19 एस. सी. सी. 409	संदर्भित किया गया है	पैरा 4.9
[2009] 5 एससीआर 20	संदर्भित किया गया है	पैरा 4.10

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं०.6500/2008

उच्च न्यायालय के 29.08.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश अगरतला स्थित गुवाहाटी के 2001 के डब्ल्यू. ए. सं०.149 में।

के साथ

सिविल अपील 2008 की 6501, 6502, 2009 की 3985, 3984 और 2022 की 5877

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., श्रुवोदीप रॉय, अर्णव सिंह देव, साहिल मोगा, विशेष कालरा, सुश्री निधि खन्ना, सुश्री सुभा यादव, अधिवक्तागण, अपीलार्थियों के लिए।

अहंथम हेनरी, विवेक कुमार, सुश्री प्रियंका, राजीव मेहता, टी. वी. रत्नम, अभय कुमार, शगुन रुहिल, रजत खत्री, विशाल नौटियाल, सोमिरन शर्मा, अधिवक्तागण, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 29.08.2007 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने त्रिपुरा राज्य द्वारा दायर रिट अपीलों को खारिज कर दिया है, जो कि त्रिपुरा बिक्री कर नियम, 1976 (इसके बाद 'टीएसटी नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 ए (2) को त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम, 1976 को अधिकारातीत घोषित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ थीं, (इसके बाद 'टी. एस. टी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को आंशिक रूप से रद्द करने और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के उस हिस्से को दरकिनार करने की अनुमति देते हुए, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता टी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 ए के तहत उत्तरदायी थे, त्रिपुरा राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. यह कि त्रिपुरा बिक्री कर अधिनियम, 1976, वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था जिसमें त्रिपुरा में कुछ वस्तुओं पर बिक्री पर कर लगाने के प्रावधान हैं। धारा 3 ए में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर का प्रावधान किया गया है। धारा 3 ए में प्रावधान किया गया है कि भुगतान के समय कर की कटौती हो। धारा 44 में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। टी. एस. टी. अधिनियम की धारा 44 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा बिक्री कर नियम, 1976 लागू किया गया। नियम 3 ए (2) में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के अधिकारों के हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत के बराबर स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान है।

2.1 त्रिपुरा राज्य के राजस्व विभाग ने वर्ष 1992 में टी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 ए के तहत स्रोत पर 4 प्रतिशत कर की कटौती के लिए ज्ञापन जारी किया।

2.2 ओ. एन. जी. सी., गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एफ. सी. आई. द्वारा वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा नोटिस जारी किए गए थे। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कार्य आदेश जारी किए गए थे। मूल रिट याचिकाकर्ताओं और गेल, ओएनजीसी, एफसीआई आदि के बीच क्रमशः समझौते किए गए थे।

2.3 मूल रिट याचिकाकर्ताओं- वाहनों के आपूर्तिकर्ताओं ने टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) को चुनौती देते हुए और इस आधार पर काटी गई राशि की वापसी के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं कि कोई चार्जिंग प्रावधान नहीं है, टीएसटी अधिनियम के तहत माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर बिक्री कर लगाने के लिए, और इसलिए, टीएसटी नियमों का नियम 3 ए, जो उपयोग के अधिकार के हस्तांतरणकर्ता के बिलों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए इसे अनिवार्य बनाता है व माल, स्रोत पर, 4% की एक समान दर पर बिक्री कर की कटौती करना टीएसटी अधिनियम से अधिकारातीत है। नियम 3 ए को चुनौती देने का एक अन्य आधार यह था कि नियम 3 ए में शक्ति के प्रत्यायोजन का अभाव है, और इसलिए वर्ष 1992 में जारी ज्ञापन अमान्य है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

2.4 सभी रिट याचिकाओं का राज्य ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि इसमें शामिल लेन-देन टीएसटी अधिनियम के 2 (जी) (ii) के अर्थ के भीतर 'बिक्री' के बराबर है और टीएसटी की धारा 3 (i) के दूसरे शर्त के अनुसार, किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर मूल्यवान प्रतिफल के 4 प्रतिशत पर

कर देय होगा और, इसलिए, नियम 3 ए (2) में केवल बिक्री कर की वसूली का एक तरीका निर्धारित किया गया है जो अन्यथा देय और देय है, और इस प्रकार नियम 3 ए (2) वैध है।

2.5 विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 3 ए(2) को टीएसटी अधिनियम के अधिकारातीत घोषित कर दिया। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि आपूर्तिकर्ता टीएसटी अधिनियम की धारा 3 ए के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर राज्य ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की। मूल रिट याचिकाकर्ताओं - आपूर्तिकर्ताओं ने भी एकल न्यायाधीश के फैसले के उस हिस्से से व्यथित होकर खंड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की, जहां यह अधिनिर्धारित किया गया कि मूल रिट याचिकाकर्ता - आपूर्तिकर्ता टीएसटी की धारा 3 ए के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.6 डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित दो मुद्दों पर विचार किया:

(i) क्या किसी भी उद्देश्य के लिए किसी सामान का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बिलों से बिक्री कर के भुगतान के लिए स्रोत पर कटौती का निर्देश देने का अधिकार राजस्व विभाग में निहित है?

(ii) क्या नियम 3 ए(2) प्रत्यायोजित विधान का एक वैध हिस्सा है?

2.7 रिट अपीलों के लंबित रहने के दौरान, टी. एस. टी. अधिनियम को त्रिपुरा वैट अधिनियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसलिए, विवाद 01.04.2004 से पहले की अवधि के लिए है।

2.8 आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य की अपीलों को खारिज कर दिया है और मूल रिट याचिकाकर्ताओं- आपूर्तिकर्ताओं की अपील को अनुमति दी है और माना है कि टीएसटी नियम और टीएसटी के नियम 3 ए(2) अधिकारातीत है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के उस हिस्से को भी रद्द कर दिया है जहां यह माना गया था कि आपूर्तिकर्ता - मूल रिट याचिकाकर्ता टीएसटी अधिनियम की धारा 3 ए के तहत उत्तरदायी हैं।

2.9 उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, त्रिपुरा राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2.10 अनुमति देते समय इस न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी प्रश्न तैयार किए हैं:

"क्या टीएसटी नियमों के नियम 3 ए के उप-नियम (2) को 'टीएसटी अधिनियम' के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है, जबकि धारा 3(1) के शर्तों में 4 % बिक्री शुल्क किसी वस्तु को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर लगाने का स्पष्ट प्रावधान है?"

3. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान एसजी और श्री श्रुवोदीप रॉय, विद्वान वकील त्रिपुरा राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं, श्री अहानथेम हेनरी, विद्वान वकील सभी मामलों में प्रतिवादी नंबर 1 के लिए उपस्थित हुए हैं, श्री सोमीराम शर्मा, विद्वान वकील हैं। ओएनजीसी की ओर से और श्री अभय कुमार, विद्वान वकील एफसीआई की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. सुश्री माधवी दीवान, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एसजी ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और टीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने टीएसटी नियमों का नियम 3 ए(2) टीएसटी अधिनियम के प्रतिस्थापित कि घोषणा करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 3 ए, जो स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान करता है, टीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर के संबंध में एक मशीनरी प्रावधान है। नियम 3 ए(2) बिक्री लेनदेन में कर जमा करने के तरीके का प्रावधान करता है और कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, यानी टीएसटी अधिनियम के तहत डीलर या कर देनदारी को किसी भी तरह से नहीं बदलता है।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि ओएनजीसी, गेल और एफसीआई द्वारा वाहनों को किराए पर लेने का लेनदेन टीएसटी अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत बिक्री की परिभाषा के अंतर्गत आता है और कर के अधीन है। यह प्रस्तुत किया गया है कि टीएसटी अधिनियम एक डीमड बिक्री का प्रावधान करता है जहां 'किसी भी उद्देश्य के लिए

किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण' होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विषय लेनदेन में, कार/वाहनों के उपयोग का अधिकार हस्तांतरित किया जा रहा है और इसलिए, लेनदेन टीएसटी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बिक्री है। टीएसटी अधिनियम की धारा 2(जी) पर भरोसा रखा गया है।

4.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि आपूर्तिकर्ता धारा 2(जी) के अर्थ के अंतर्गत डिलीवरी या स्थानांतरण करने वाला व्यक्ति है, जैसा कि टीएसटी अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत प्रदान की गई 'डीलर' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, आपूर्तिकर्ता - मूल रिट याचिकाकर्ता 'डीलर' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा क्योंकि वह प्रश्न में माल का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करके टीएसटी अधिनियम के संदर्भ में कर योग्य सामान 'बेचने' वाला व्यक्ति है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता धारा 2 (जी) (ii) के अर्थ के भीतर वितरण या हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति है जो टी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत प्रदान की गई 'विक्रेता' शब्द की परिभाषा के भीतर आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, आपूर्तिकर्ता- मूल रिट याचिकाकर्ता 'विक्रेता' की परिभाषा के भीतर आएगा क्योंकि वह एक 'बेचने वाला' व्यक्ति है।

4.4 एसजी सुश्री दीवान द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा 3(1) टीएसटी अधिनियम के तहत प्रभार अनुभाग है, जो कर लगाने का प्रावधान करती है और डीलर को उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाती है।

4.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि टीएसटी अधिनियम प्रत्यायोजित कानून प्रदान करता है और नियम बनाने की शक्ति टीएसटी नियमों की धारा 44 के तहत प्रदान की जाती है।

4.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 44 के तहत नियम बनाने की शक्ति स्रोत पर कर कटौती सहित वसूली की प्रक्रिया को कवर करने के लिए समावेशी और व्यापक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए नियम 3 ए(2) जो माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरणकर्ता के हाथों स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान करता है, एक मशीनरी प्रावधान है जिसे नियमों में प्रदान किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके अलावा, धारा 44 को आगे बढ़ाने में बनाए गए सभी नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।

4.7 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विवादित नियम 3 ए(2) किसी भी तरह से डीलर से कर का भुगतान करने के दायित्व को नहीं बदलता है और डीलर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

4.8 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार नियम 3 ए(2) केवल एक मशीनरी/तंत्र के लिए प्रदान करता है जहां सामान खरीदने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर काटता है और उसे राजस्व के साथ जमा करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह किसी भी तरह से कर की प्रभार्यता या कर का भुगतान करने की देनदारी को नहीं बदलता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान मशीनरी प्रावधान हैं। मशीनरी प्रावधान होने के कारण इसे नियमों में भी प्रदान किया जा सकता है।

पीलकौम एम. बनाम सी. आई. टी., (2020) 19 एस. सी. सी. 409 (पैराग्राफ 36 से 38) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

4.10 सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने आगे प्रस्तुत किया है कि **सी. आई. टी. बनाम एली लिली एंड कंपनी (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2009) 15 एससीसी 1** के मामले में इस न्यायालय को इस मुद्दे पर विचार करने में खुशी हुई है कि क्या स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधान इस आधार पर प्रभारित प्रावधानों से स्वतंत्र हैं कि यह केवल एक मशीनरी प्रावधान है।

4.11 सुश्री दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा है कि वर्तमान मामले में टी. एस. टी. अधिनियम और नियम स्पष्ट रूप से एक वैध कर कानून के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और कर कानून के लिए आवश्यक सभी घटकों का प्रावधान करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने **सी. सी. ई. और सीमा शुल्क बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (2016) 1 एससीसी 170** के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया है कि कर की वैध वसूली के लिए चार घटक होंगे-

- (i) अधिरोपण का चरित्र उसकी प्रकृति से ज्ञात होता है जो लेवी को आकर्षित करने वाली कर योग्य घटना को निर्धारित करता है;
- (ii) उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत जिस पर लेवी लगाई गई है और जो कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है;
- (iii) वह दर जिस पर कर लगाया जाता है और;

(iv) वह माप या मूल्य जिस पर कर दायित्व की गणना के लिए दर लागू की जाएगी।

यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में वैध कर कानून के लिए वे सभी घटक टीएसटी अधिनियम और टीएसटी नियमों के तहत प्रदान किए गए हैं।

4.12 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभारिता में कोई बदलाव नहीं हुआ है नियम 3 ए (2) को लागू करके कर का निर्धारण किया जाता है और न ही कोई नया शुल्क लगाया जाता है और नियम 3 ए (2) केवल स्रोत पर कर कटौती के तंत्र का प्रावधान करता है और इसलिए नियम 3 ए (2) को टीएसटी अधिनियम और टीएसटी नियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया है।

उपरोक्त दलीलें देते हुए वर्तमान अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5. इन सभी अपीलों का संबंधित प्रतिवादी नंबर 1 - मूल रिट याचिकाकर्ताओं - आपूर्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा विरोध किया जाता है। यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने टीएसटी नियमों के नियम 3 ए (2) को टीएसटी अधिनियम और टीएसटी नियमों के अधिकारातीत घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी और धारा 3 ए के उप-नियम 2 में कहा कि स्रोत पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर कटौती टीएसटी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और राज्य सरकार द्वारा कटौती के लिए जारी ज्ञापन को रद्द कर दिया। सरकार कंपनियों द्वारा वाहनों के आपूर्तिकर्ताओं की बिल राशि का भुगतान करते समय बिक्री कर में कटौती का प्रावधान कर रही है। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि जिन पार्टियों ने किराये पर वाहन दिए थे, उनकी बिक्री कर देनदारी टीएसटी अधिनियम की धारा 3 ए के कारण जारी रहेगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) को अधिकारातीत घोषित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश की सही पुष्टि की है , और साथ ही दर्ज की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को भी सही ढंग से खारिज कर दिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि टीएसटी अधिनियम की धारा 3 ए के कारण अभी भी उन पार्टियों की बिक्री कर देयता जारी रहेगी जिन्होंने किराए

पर वाहन दिए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने टीएसटी अधिनियम की धारा 3 एए की प्रयोज्यता पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को सही ढंग से सही किया है।

5.2 उत्तरदाताओं - आपूर्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी आक्षेपित निर्णय और आदेश में सही ढंग से विचार किया है और माना है कि कर योग्य वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जा सकता है और वह बिक्री कर का भुगतान करने का दायित्व अधिनियम के तहत एक पंजीकृत डीलर का है और किसी भी व्यक्ति को बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा टीएसटी नियमों के नियम 3 ए के उप-नियम 2 के तहत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उप-नियम 2 में आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को भुगतान करते समय बिक्री कर की कटौती की है, जिसने किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया है, लेकिन टीएसटी अधिनियम के प्रावधान पंजीकृत द्वारा बिक्री कर के भुगतान का प्रावधान करते हैं। कर योग्य वस्तुओं के डीलर और यहां तक कि किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान के अधिकार के हस्तांतरण के मामले में भी बिक्री कर लगाया/कटौती किया जा सकता है यदि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण कर योग्य वस्तुओं का है और अधिनियम के तहत एक पंजीकृत डीलर द्वारा किया जाता है।

5.3 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आगे यह देखा और अभिनिर्धारित किया कि कार्य अनुबंध पर बिक्री कर लगाने के लिए टी. एस. टी. अधिनियम में शुल्क लगाने की धारा है जो किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण में शामिल व्यक्तियों के मामले में नहीं है।

5.4 आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यहां उत्तरदाताओं - जिन आपूर्तिकर्ताओं ने उपयोग के लिए वाहन दिए थे, वे डीलर नहीं थे और बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थे और उन्होंने अपने काम के दौरान और किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के दौरान कोई सामान नहीं बेचा था। किसी भी उद्देश्य के लिए टीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलर के बिना किया गया है और माल का हस्तांतरण किसी भी कर योग्य माल से नहीं है, 4% बिक्री कर की कटौती टीएसटी अधिनियम के तहत या नियमों के तहत नहीं की जाएगी और इस प्रकार यहां वर्तमान मामलों के लंबित रहने के

दौरान राज्य सरकार/कंपनियों द्वारा अधिकांश वाहन आपूर्तिकर्ताओं को कटौती की गई राशि वापस कर दी गई है।

5.5 उत्तरदाताओं - आपूर्तिकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान और चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ कोई रोक नहीं थी, कई मामलों में राज्य सरकार/ संबंधित कंपनियों ने यहां उत्तरदाताओं - मूल आपूर्तिकर्ताओं को देय और देय राशि वापस कर दी है और इसलिए अब उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को राज्य सरकार/संबंधित कंपनियों द्वारा लागू किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अब इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

5.6 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वाहन देने वालों पर बिक्री कर की कटौती/लेवी के लिए अधिनियम में किसी भी चार्जिंग धारा के अभाव में कंपनियों के कर्मचारियों के उपयोग के लिए किराए पर लेने पर, नियमों के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम में धारा प्रभारित करने के अभाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्या नहीं किया जा सकता है, नियमों की मदद लेकर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियम अधिनियम के प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए टी. एस. टी. नियमों के नियम 3 ए के उप-नियम 2 को टी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है।

6. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपील करने की अनुमति देते समय इस न्यायालय ने कानून का निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया है, जो नीचे लिखा है:

"क्या टी. एस. टी. नियमों के नियम 3 ए के उप-नियम (2) को 'टी. एस. टी. अधिनियम' के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अधिकार से बाहर घोषित किया जा सकता है, हालांकि किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत बिक्री कर लगाने के लिए धारा 3 (1) में स्पष्ट प्रावधान है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) को टीएसटी अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित कर दिया और कटौती की आवश्यकता के लिए सरकार द्वारा जारी ज्ञापन को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया। किसी भी सामान के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करते समय बिक्री कर की दर 4% होगी। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा और माना कि जिन पार्टियों ने किराए पर वाहन दिए थे, उनकी बिक्री कर देनदारी टीएसटी अधिनियम की धारा 3 ए के कारण जारी रहेगी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने न केवल टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) को अधिकारातीत घोषित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है, बल्कि विद्वान द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को भी खारिज कर दिया है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि टीएसटी अधिनियम की धारा 3 ए के कारण उन पार्टियों की बिक्री कर देनदारी जारी रहेगी जिन्होंने किराये पर वाहन दिए थे। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है और अपील की अनुमति देते समय इस न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न के अनुसार, क्या उप-टीएसटी नियमों के नियम 3 ए के नियम 2 को टीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कहा जा सकता है, हालांकि उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4% बिक्री कर लगाने के लिए धारा 3(1) में स्पष्ट प्रावधान है ?

8.1 उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय टीएसटी अधिनियम और टीएसटी नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं:

"2(बी) "डीलर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो त्रिपुरा में उसके द्वारा निर्मित, बनाई या संसाधित की गई कर योग्य वस्तुओं को बेचता है या त्रिपुरा की बिक्री के उद्देश्य से त्रिपुरा के बाहर किसी भी स्थान से त्रिपुरा में लाया जाता है 1 [और इसमें सरकार और कोई भी व्यक्ति शामिल है धारा 3 ए के तहत बिक्री करना ;"

"2(जी) "बिक्री" का अर्थ है नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण, और इसमें शामिल है-

- (i) किराया-खरीद पर माल की कोई डिलीवरी या किस्तों में भुगतान की कोई प्रणाली,

(ii) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए (चाहे निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का कोई भी हस्तांतरण, और किसी भी सामान की ऐसी डिलीवरी या हस्तांतरण को बिक्री माना जाएगा डिलीवरी या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति द्वारा वे सामान और उन सामानों की खरीद उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे ऐसी डिलीवरी या ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इसमें बंधक, दृष्टिबंधक, शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है;"

XXX XXX XXX

"3.(1) (1) कर योग्य वस्तुओं का प्रत्येक व्यापारी इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर पर अपने टर्नओवर पर कर का भुगतान करेगा: बशर्ते कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रावधानों के अधीन, 1956 राज्य सरकार, समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह लगा सकती है, कर की उच्च दर 3 [चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं या इस अधिनियम के तहत देय कर की किसी भी कम दर को निर्धारित कर सकती है। ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी कर योग्य माल या कर योग्य माल के वर्ग की बिक्री; और उसके बाद अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा:

.....
आगे बशर्ते कि किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर कर की दर (निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) 4% होगा]"

" धारा 3 एए - भुगतान के समय कर की कटौती: अधिनियम की धारा 3 ए के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति , उस व्यक्ति के खाते में ऐसी राशि जमा करने के समय या कटौती के समय उसका नकद भुगतान या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से, बिक्री कर के लिए ऐसी राशि जो निर्धारित की जा सकती है।

XXX XXX XXX

“ **धारा 44.** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की उदारता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, विशेष रूप से निर्धारित कर सकते हैं---

(क) इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सभी मामले;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों के खंड और कर्तव्य;

(ग) इस अधिनियम के तहत कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अपनाए जाने वाले प्रपत्र;

(घ) इस अधिनियम के तहत कर किस अंतराल पर और किस तरीके से देय होगा;

(ङ) तारीखें जब तक और प्राधिकारी को रिटर्न प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) वह तरीका जिससे रिफंड किया जाएगा; (छ) याचिकाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य के लिए फीस, यदि कोई हो;

(ज) किसी डीलर द्वारा रखे जाने वाले खातों की प्रकृति; और

(i) इस अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक किसी अन्य मामले के लिए।

(3) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा, जबकि यह चौदह दिनों से कम की कुल अवधि के लिए सत्र में होगा, जिसमें एक में शामिल किया जा सकता है। सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में और यदि, सत्रों की समाप्ति से पहले, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है या लगातार उपरोक्त विधान सभा नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत है या विधान सभा इस बात पर सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए , इसके बाद नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या जैसा भी मामला हो,

प्रभावहीन होगा, हालांकि, इस तरह का कोई भी संशोधन या रद्दीकरण उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

XXX XXX XXX

" नियम 3 ए(1)- कार्य अनुबंध के अनुसरण में माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए किसी भी व्यक्ति (इसके बाद इस नियम में ठेकेदार के रूप में संदर्भित) का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ठेकेदार को नकद या किसी भी तरह से ऐसा भुगतान करने का समय, इसके लिए बिल की सकल राशि का डेढ़ प्रतिशत और आर. सी. सी. पुल के मामले में देय कर और ऐसे कार्य अनुबंध के कारण अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अन्य कार्यों के संबंध में देय कर के लिए बिल की सकल राशि का 4 प्रतिशत काट लें।

बशर्ते कि जिन अनुबंधों के लिए पहली जनवरी, 1989 से पहले कार्य आदेश जारी किया गया था, उनके कारण कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए ठेकेदार के बिलों या चालानों से ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि इस नियम में उल्लिखित कर की राशि के बराबर किसी भी राशि की कटौती करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति इस मामले को क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कर अधीक्षक को शुद्ध कारोबार की अस्थायी गणना और कार्यों में शामिल वस्तुओं के मूल्यवान प्रतिफल के लिए ऐसे ठेकेदार द्वारा देय कर की राशि के लिए संदर्भित कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वस्तु को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के लिए देय मूल्यवान विचार के कारण किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) नकद या किसी भी रूप में तरीके से, इस तरह के भुगतान के समय, अधिकार के ऐसे हस्तांतरण के कारण, अधिनियम के तहत देय कर की आंशिक या पूर्ण संतुष्टि के लिए चार प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की जाएगी:

बशर्त ऐसा कोई न हो कटौती अंतरणकर्ता के बिल(बिलों) या चालान(चालानों) से की जाएगी -

(क) ऐसे हस्तांतरण के कारण जहां माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर जनवरी, 1989 के पहले दिन से पहले सहमति हुई थी;

(ख) भुगतान में चूक के लिए दंड के रूप में या उस व्यक्ति द्वारा माल को हुई किसी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि, जिसे ऐसा हस्तांतरण किया गया था; और

(ग) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) और (3) के तहत कर से मुक्त वस्तुओं के संबंध में इस तरह के हस्तांतरण के लिए प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि।"

8.2 टीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने टीएसटी नियम बनाए थे जिन्हें विधान सभा के समक्ष रखा गया था। अधिनियम की धारा 44, जो एक नियम बनाने की शक्ति है, को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर यह देखा जा सकता है कि धारा 44 के तहत नियम बनाने की शक्ति स्रोत पर कर कटौती सहित वसूली की प्रक्रिया को कवर करने के लिए पर्याप्त समावेशी और व्यापक है।

8.3 टीएसटी अधिनियम की धारा 3 को चार्जिंग धारा कहा जा सकता है और कर का भुगतान करने का दायित्व टीएसटी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार होगा। टीएसटी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार कर योग्य वस्तुओं के प्रत्येक व्यापारी को अपने टर्नओवर पर अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करना होगा। त्रिपुरा बिक्री कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 12.05.1987 से सम्मिलित धारा 3(1) के प्रावधान के अनुसार, किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर कर की दर (चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए हो या नहीं) निर्दिष्ट अवधि) 4% होगी। 'बिक्री' को धारा 2(जी) के तहत परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण, नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचारों के लिए सामान, और इसमें नकदी के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का कोई भी हस्तांतरण शामिल है, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल, और किसी भी सामान की ऐसी डिलीवरी या हस्तांतरण को डिलीवरी या हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा और

उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की खरीद, जिसे ऐसी डिलीवरी या हस्तांतरण किया गया है। इस प्रकार, वाहनों सहित किसी भी सामान के उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण को धारा 2(जी)(ii) के तहत परिभाषित 'बिक्री' माना जाएगा। 'डीलर' शब्द को टीएसटी अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है और इसका मतलब कोई भी व्यक्ति है जो कर योग्य सामान बेचता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कर योग्य वस्तुओं की बिक्री टीएसटी अधिनियम की धारा 2(जी) के अनुसार होगी। इसलिए, टीएसटी अधिनियम की धारा 2(बी) और 2(जी) के साथ पठित धारा 3 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर किसी भी सामान (वाहनों सहित) के उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण को 'बिक्री' और हस्तांतरणकर्ता के रूप में माना जाएगा। किसी भी सामान/वाहन का उपयोग करने का अधिकार रखने वाले को डीलर कहा जा सकता है और इसलिए धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सामान के उपयोग के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण पर 4% की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, किसी भी सामान के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर 4% की दर से कर का भुगतान करने का दायित्व धारा 3(1) के तहत होगा। इसलिए, उत्तरदाताओं- आपूर्तिकर्ताओं/हस्तांतरणकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ कि चूंकि माल की कोई बिक्री या हस्तांतरण नहीं है और वे टीएसटी अधिनियम के साथ पंजीकृत नहीं हैं और इसलिए, 4% कर का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। स्वीकृत होना। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कर का भुगतान करने का दायित्व अंतरणकर्ता पर होगा जो टीएसटी अधिनियम की धारा 2 (बी) और 2 (जी) के साथ पढ़ी गई धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सामान का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करता है।

9. अब अगला प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया है, वह यह होगा कि क्या टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) और सरकार द्वारा 4% कर कटौती के लिए जारी किए गए ज्ञापन और हस्तांतरणकर्ताओं को भुगतान किए जाने वाले बिलों को लागू किया जा सकता है। टीएसटी अधिनियम के अधिकारेतर कहे जाने का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान को अधिकारेतर माना है, यह देखते हुए कि टीएसटी अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, नियम इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। अधिनियम। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया उपरोक्त दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। नियम 3 ए(2) को एक पुनर्प्राप्ति मशीनरी/तंत्र कहा जा सकता है। नियम 3 ए(2) जो प्रावधान करता है वह केवल एक मशीनरी/तंत्र के लिए है जहां सामान खरीदने वाले व्यक्ति को स्रोत पर कर की कटौती करने और उसे राजस्व के साथ जमा करने

की आवश्यकता होती है। यह किसी भी तरह से कर की प्रभार्यता या कर की देनदारी को नहीं बदलता है जो कि टीएसटी अधिनियम की धारा 3(1) के साथ पठित धारा 2(बी) और 2(जी) के तहत है।

9.1 जैसा कि ऊपर देखा गया है, नियम अधिनियम की धारा 44 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और मामले को ध्यान में रखते हुए और माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर का भुगतान करने की देनदारी अभी भी प्रावधान के तहत जारी रहेगी। धारा 3(1) में , माल खरीदने वाले व्यक्ति से नांतरणकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर की वसूली के लिए केवल वसूली के तरीके और/या मशीनरी/तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्रोत पर कर की कटौती की गई है और इसे कर के साथ जमा किया गया है। राजस्व को टीएसटी अधिनियम और नियमों के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता, जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा और माना। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा और माना जाता है कि नियम 3 ए(2) किसी भी तरह से कर की प्रभार्यता या कर का भुगतान करने की देनदारी को नहीं बदलता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) की गलत व्याख्या करने में गलती की है और टीएसटी नियमों के नियम 3 ए(2) को टीएसटी अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित करने में गलती की है और उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने में भौतिक गलती की है। और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उस ज्ञापन को रद्द कर दिया गया, जिसमें किराये पर लेने वालों अर्थात् ओएनजीसी और गेल को वाहनों के आपूर्तिकर्ताओं के संबंधित बिलों में से 4% के बराबर राशि की कटौती करने की आवश्यकता थी।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपीलें सफल होती हैं। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश में त्रिपुरा बिक्री कर नियम, 1976 के नियम 3 ए (2) को त्रिपुरा बिक्री के लिए अधिकारातीत घोषित किया गया है। कर अधिनियम, 1976 और राज्य सरकार द्वारा जारी 1992 के ज्ञापन को रद्द करते हुए और रद्द करते हुए, जिसमें भाड़े पर लेने वालों को वाहनों के आपूर्तिकर्ताओं के संबंधित बिलों में से 4% कर की कटौती करने की आवश्यकता होती है, को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। आवश्यक परिणाम आएंगे।

तदनुसार वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन (अभिषेक प्रताप सिंह और तमन्ना, एलसीआरएस द्वारा सहायता प्राप्त)

संजय कुमार